(573)

RTP-13

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ. 3(663)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक 18 JUL 2012

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– कृषि भूमि पर निजी खातेदारी व विकासकर्त्ताओं की योजनाओं का रूपान्तरण व टाउनशिप पॉलिसी के तहत अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :– मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त अ.शा. टीप क्र. मु.मं.–ओएसडी(डीएस)/प–2(नविवि)/(जय)/12/56889 दिनांक 22.06.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नानुसार एतद्द्वारा निर्देश दिये जाते है :–

1. टाउनशिप पॉलेसी, 2010 के बिन्दु सं. 5.03 के प्रावधान अनुसार 2 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में 5 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं हेतु संबंधित निकाय को निःशुल्क समर्पित किया जाना आवश्यक है। 2 हैक्टयर या उससे कम क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में 5 प्रतिशत क्षेत्र के समतुल्य आवासीय आरक्षित दर पर संबंधित निकाय द्वारा विकासकर्ता से राशि जमा करायी जायेगी।
2. टाउनशिप पॉलिसी में 10 हैक्टयर से कम व अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 40 से 45 प्रतिशत क्षेत्रफल सड़क, पार्क, ओपन स्पेस व अन्य सुविधाओं हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इसमें से न्यूनतम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्क ओपन स्पेस व सुविधाओं हेतु आरक्षित कराये जाने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में जहां योजनाओं में हाईटेंशन लाईन अथवा मास्टर प्लान/ सेक्टर प्लान की अधिक सड़के होने पर सड़कों का क्षेत्रफल औसतन 20 से 22 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में सेक्टर रोड़ के साथ हाईटेंशन लाईन के क्षेत्र की गणना भी सुविधा क्षेत्र व सड़कों हेतु आरक्षित 40 प्रतिशत में किये जाने का प्रावधान किया जाता है। इस क्षेत्रफल को ओपन स्पेस सड़क, पार्क व अन्य सुविधा की गणना में सम्मिलित किया जावें।
3. टाउनशिप पॉलिसी 2002 की प्रक्रियानुसार पृथक–पृथक ग्रुप हाउसिंग व आवासीय योजना के मानचित्र अनुमोदन किये जा सकते है। यदि आवेदक द्वारा अपनी भूमि पर ग्रुप हाउसिंग व स्वतंत्र आवासीय योजना प्रस्तावित की जाती है तो वह भी अनुमोदन योग्य हं तथा इनकी गणना प्रस्तावित उपयोग के समानुपात में ग्रुप हाउसिंग व स्वतंत्र आवासीय के क्षेत्रफल के अनुरूप की जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी सभी निकायों को निर्देशित किया जा चुका है कि ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु आवश्यक भूमि इन्हीं योजनाओं में आरक्षित की जावेगी, जिनमें 90बी के तहत नोटिस अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 लागू होने के दिनांक के बाद जारी किये गये हो अर्थात दिनांक 23.12.2009 से पूर्व जिन योजनाओं की 90बी की जा चुकी है, उन पर अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी. हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है।

भवदीय,

18/7/2012

(एन. एल. मीणा)
शासन उप सचिव प्रथम